<u>न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी मवाना, मेरठ।</u>

<u>सीएनआरन.यू.पी.एम.ई.120002662026</u>

<u>जमानत प्रार्थनापत्र सं0 122/2026</u>

अभियक्त के विद्वान अधिवक्ता — श्री पंकज नागर

सरकार **बनाम** चिंटू आदि

मु.अ.स. 244/2023

धारा–323,504,506,341 भा.द.स..

थाना–मवाना, जिला –मेरठ।

<u>**दिनांकः– 06.03..2026:**</u>– अभियुक्त मंगते पुत्र हरचंद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–244/2023 अन्तर्गत धारा–323,504,506,341 भा.द.स थाना मवाना, मेरठ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अभियुक्त निर्दोष है, झूठां व रंजिशन फॅसाया गया है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त के विरूद्व जनता का कोई गवाह नहीं है। अभियुक्त सम्भ्रांत परिवार के सदस्य है तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने के लिए तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त पर मारपीट करने , गालियां देने व जान से मारने की धमकी का आरोप है तथा अभियुक्त के विरूद्व आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सात वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डनीय है।म**0 उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य के मामले** एवं तथ्य व परिस्थितियों में आवेदन जमानत स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मंगते पुत्र हरचंद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियक्त द्वारा 25 हजार रूपये का पी.बी. एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(प्रशान्त मौर्य)

न्यायिक दण्डाधिकारी,

मवाना, मेरठ।

ID.No.UP3377